आपने लिखा

गणित का अध्यापक होने के बावजूद पिछले कुछ समय से मैं आठवीं कक्षा को इतिहास, भूगोल एवं नागरिकशास्त्र अपनी रुचि से पढ़ा रहा हूँ। परन्तु शिक्षण के दौरान, विशेषकर नागरिक शास्त्र के शिक्षण के दौरान, मुझे कई अनुभव हुए जिन्होंने मुझे 'शिक्षा और लोकतंत्र' के आपसी सम्बन्धों के बारे में सोचने को विवश किया। दरअसल, लोकतंत्र वाले हिस्से में एक अध्याय 'मौलिक अधिकारों' एवं 'मौलिक कर्तव्यों' पर था। मैंने कक्षा में इस पर चर्चा करवाई।

सर्वप्रथम मैंने मौलिक अधिकारों की एक आसान समझ प्रस्तुत की और फिर क्रमशः हरेक की व्याख्या की। बीच-बीच में बच्चों की ओर से प्रश्न और जिज्ञासाएँ भी आती रहीं। इन प्रश्नों ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया कि बच्चे, जिन्हें हम सामाजिक रूप से इतना अपरिपक्व समझते हैं, वे सामाजिक विरोधाभासों की इतनी गहरी समझ रखते हैं। और इसके साथ ही वे समाज में व्याप्त कुरीतियों और असमानता से इतने गहरे तक प्रभावित हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो प्रश्न बच्चों की ओर से आए उनमें से अधिकांश पर हमारी अधिकतर पाठशालाओं में चर्चा तक नहीं की जाती। वे प्रश्न सीधे-सीधे यही प्रदर्शित करते हैं कि कहीं-न-कहीं कथनी और करनी में अन्तर ज़रूर है, और यह इतनी गहराई तक हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है कि हम उस पर चर्चा तक नहीं करना चाहते।

हालाँकि इन प्रश्नों पर राजनीति होती है, सरकारें बनती-बिगड़ती हैं, पर इन सबके बावजूद हम अध्यापकों के पास बच्चों को देने के लिए तार्किक जवाब उपलब्ध नहीं होते, न ही इतना विवेक व धैर्य कि हम कक्षा में ही इस पर कुछ निष्कर्ष निकाल सकें। ये प्रश्न हैं -

1. समता का अधिकार जो संविधान द्वारा दिया गया है वह क्या सचमुच लागू होता है? मेरा अवलोकन यह था कि सारे प्रश्न अधिकारों को लागू करने की ओर इंगित थे। सभी बच्चे मान रहे थे कि ये अधिकार बिलकुल सही हैं, पर वे यह और भी गहराई से अनुभव कर रहे थे कि इनका पालन न के बराबर हो रहा है। अधिकांश बच्चे यह मानते थे कि अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, पर सभी जानते थे और कई स्वीकार कर रहे थे कि उनके घरों में छुआछूत मानी जाती है।
2. धर्म के आधार पर भेदभाव को गलत बताया गया, पर उनमें से अधिकांश के विचार दूसरे धर्मावलम्बियों के प्रति असहिष्णु थे।
3. इस बात पर भी सहमति बनी कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, परन्तु कई बच्चों के माँ-बाप एवं स्वयं बच्चे लड़कों को लड़कियों से श्रेष्ठ मान रहे थे।
4. कानून के समक्ष समता के अधिकार पर कुछ कटु प्रश्न भी आए जिनका कि मैं भी कोई स्पष्टीकरण न दे पाया। जैसे कि कई बच्चों ने बताया कि वे टी.वी. पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी बड़े नेता, अभिनेता या अमीर व्यक्ति को बड़ा अपराध करने

पर भी सज़ा नहीं मिलती, वहीं एक गरीब आदमी को निरपराध होने पर भी पुलिस की मार खानी पड़ती है।

5. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर बच्चों द्वारा पूछा गया कि क्या यह केवल बड़ों (अध्यापकों) के लिए है या कि बच्चों पर भी लागू होता है? अगर होता है तो कक्षाओं में कुछ पूछने पर उन्हें डाँटा क्यों जाता है, या अध्यापक की नज़र में किसी भी विषय पर बच्चों की राय अहमियत क्यों नहीं रखती?

ऐसे कई प्रश्न और थे जैसे अपनी भाषा, संस्कृति आदि के संरक्षण का अधिकार। इस पर यही राय आई कि यह ठीक है पर किन्हीं विद्यालयों में अपनी भाषा (हिन्दी, हमारे क्षेत्र में कुमाँउनी भाषाएँ) बोलने पर दण्ड क्यों दिया जाता है? और हमारी कृषक संस्कृति होने के बावजूद खेती (जो कि मूलभूत व्यवसाय है) को इतना हीन कार्य क्यों माना जाता है? टी.वी. पर आधुनिकता के नाम पर जो अश्लीलता दिखाई जाती है उस पर रोक क्यों नहीं लगती?

ये ऐसे प्रश्न थे जिन्होंने मुझे सोचने फलतः लिखने को मजबूर किया। मैं स्वयं इन प्रश्नों से सहमत था, लेकिन इन पर कोई एक राय नहीं बन पाई। चूँकि प्रकरण लोकतंत्र का था इसलिए चर्चा खुली रखी गई जो कि हर दिन नागरिकशास्त्र के पीरियड में चलती रही। अब जबकि परीक्षाएँ हो रही हैं, मेरे पास लिखने के लिए समय बचता है। मैं अपनी इन जिज्ञासाओं को 'संदर्भ' के माध्यम से एक बौद्धिक वर्ग के सम्मुख रख रहा हूँ कि किस प्रकार मैं बच्चों की इन समस्याओं का समाधान करूँ, जबकि ये सब समस्याएँ एक बड़े समाज की भी हैं, ताकि बच्चे बगैर किन्हीं कुण्ठाओं के इन विडम्बनाओं से लड़ सकें और भविष्य में बेहतर नागरिक जीवन जी सकें। इस पर कृपया अनुभवी अध्यापक एवं विद्वत जन मेरी सहायता करें।

कमलेश उप्रेती
नारायणनगर, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड

कुछ समय पहले हिन्दी और मराठी 'शैक्षणिक संदर्भ' में क्रमशः जीप और कैलेण्डर को शिक्षा का आधार बनाकर लिखे गए लेख पढ़े थे। वर्तमान अंक-61 में कीर्ति जयराम का लेख पढ़ा। बच्चों में समझ विकसित करने और उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए अच्छे सुझाव और रोचक सामग्री दी गई है। इससे प्रेरणा लेकर शिक्षक नई सामग्री विकसित कर सकते हैं।

इसके विपरीत बच्चों को हतोत्साहित और गुरुजियों को शर्मिन्दा करने की गलत मानसिकता से लिखा गया राधेश्याम थवाईत का लेख है। इसमें ग्रहण करने लायक कुछ भी नहीं है। जिस तरह बच्चों को संख्याओं (48567, 5212) का स्थानीय मान लिखने को कहा गया है, वह भी गलत है। क्योंकि संख्या का स्थानीय मान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। संख्या में उपस्थित विभिन्न अंकों का स्थानीय मान पूछा जाता है।

पढ़ने के दौरान बच्चे यदि गलतियाँ करते हैं तो इसमें अजब लगने जैसी कोई बात नहीं है, न ही गुरुजी को झेंपने की ज़रूरत है। स्कूल में अलग-अलग परिवेश से आए कई स्तर के बच्चे होते हैं और उन्हें पढ़ाना कोई आसान काम नहीं होता

है। हम और आप बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कई तरह की गलतियाँ करके ही सीखते हैं। गुरुजी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। अलग-अलग तरीके अपनाकर पढ़ाने का प्रयास करना और बच्चों को प्रोत्साहित करना गुरुजी का दायित्व होता है।

यह लेख छापने के पीछे सम्पादक मण्डल की क्या मजबूरी रही होगी, समझना कठिन है।

सुधा हर्डीकर
होशंगाबाद, म.प्र.

संदर्भ की सारगर्भित सामग्री के लिए आपको बधाई। अंक काफी अच्छा रहा है। इसे भारत के लगभग प्रत्येक कॉलेज एवं स्कूल की लाइब्रेरी में जाना चाहिए। प्रयास करिए यह असम्भव नहीं है।

जुलाई-अक्टूबर, 2008 अंक-61 में प्रकाशित पारुल सोनी द्वारा लिखा गया लेख 'प्रकृति में सतरंगी यौन विविधता' पढ़ा। लेख रोचक एवं मज़ेदार है परन्तु इसमें एक गलती है। लेख में दरियाई घोड़े का ज़िक्र है, चित्र भी है। परन्तु यह दरियाई घोड़ा नहीं है। दरियाई घोड़ा दो शब्दों दरिया एवं घोड़ा को मिलाकर बना है जिसका अर्थ हुआ नदी में रहने वाला घोड़ा। यह नदियों में पाया जाने वाला काफी भारी-भरकम, गठीला एवं शाकाहारी जन्तु है। यह स्तनधारी है। जिस जन्तु का ज़िक्र लेख में है उसका नाम सी-हॉर्स या समुद्री घोड़ा है जिसे हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं। यह समुद्र में ही पाया जाता है। औसतन इसकी लम्बाई 5 से 11 सेंटीमीटर तक होती है। इसके मुँह का आकार घोड़े की तरह होने के कारण इसे सी-हॉर्स की संज्ञा मिली अन्यथा यह मछली ही है।

प्रत्येक अंक में विज्ञान कथा दें तो अच्छा होगा।

अमित
गोरखपुर, उत्तरप्रदेश

भूगोल के हिसाब से दरिया उथले समुद्र को कहा जाता है। लेख में लिखा गया दरियाई घोड़ा समुद्र से ही सम्बन्धित है। आमतौर पर सर्कस में दिखाए जाने वाले हिप्पोपोटेमस को भी बोलचाल में दरियाई घोड़ा कहा जाता है जिसकी वजह से भ्रम हो जाता है।

– सम्पादक मण्डल